न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / संख्या–2002 / 1721 / चुरू

1. रिखूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
2. खीवसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
3. दुर्जनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
4. रिडमलसिंह पुत्र पाबूदानसिंह जाति राजपूत
5. जगमालसिंह पुत्र घूडसिंह जाति राजपूत
6. पृथ्वीसिंह पुत्र घूडसिंह

   समस्त निवासीगण रतनादेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

अपीलांटस्.....

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.खण्ड, रतनगढ़ जिला चुरू
2. सहायक अभियंता सा.नि.वि.खण्ड, रतनगढ़ जिला चुरू
3. जूनियर अभियंता, सा.नि.वि.खण्ड, रतनगढ़ जिला चुरू
4. हरीदास पुत्र पोकरदास जाति स्वामी
5. किसनाराम पुत्र पुराराम जाति नाई
6. सवाईसिंह पुत्र लाधुसिंह जाति राजपूत
7. मोहनदास पुत्र पोकरदास
8. मालदास पुत्र पोकरदास जाति स्वामी
9. प्रेमदास पुत्र पोकरदास
10. पीथाराम पुत्र पूराराम जाति नाई
11. भगवानदास पुत्र पूराराम जाति नाई
12. श्रीमती मोहनी पुत्री पूराराम जाति नाई
13. श्रीमती कुन्ती (कुनणी) पुत्री पूराराम जाति नाई
14. श्रीमती बादू बेवा पूराराम जाति नाई
15. मु0 अमरी बेवा लाधूसिंह जाति राजपूत
16. श्रीमती इन्द्रकंवर पुत्री लाधूसिंह जाति राजपूत
17. मु0 दाखा बेवा मेधसिंह जाति जाति राजपूत
18. हनुमानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
19. गोमदसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
20. डालसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
21. मानसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
22. भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
23. उम्मेदसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
24. पूर्णसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत
25. सुश्री कमलकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत

समस्त निवासीगण रतनादेसर तहसील रतनगढ जिला चुरू

26. ओमप्रकाश यादव, सा.नि.वि.खण्ड, रतनगढ़ जिला चुरू।

रेस्पोडेन्ट्.....

खण्ड–पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थितः

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स

श्री लोकेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 से 13 व 16 से 25

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक15.5.19

1. हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **(जिसे आगे ''काश्तकारी अधिनियम'' कहा जायेगा)** की धारा 225 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी **(जिसे आगे ''प्रथम अपीलीय प्राधिकारी'' कहा जायेगा)** द्वारा अपील संख्या 59/1999 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ **(जिसे आगे ''विचारण न्यायालय'' कहा जायेगा)** के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 18/1993 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.08.1999 द्वारा वाद स्वीकार किये जाने के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार कर प्रेतिप्रेषित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो सार्वजनिक निर्माण के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के

विभाग का ठेकेदार है, द्वारा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 से 25 की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से सडक निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। विवादित भूमि गांव रतनादेसर की ख.नं. 206, 207, 209, 210, 233, 389, 299, 295, 300, 301 की है। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे उपरोक्त भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि में नई सड़क या रास्ता कायम करने का प्रयास ना करें। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.08.1999 द्वारा दावा डिक्री किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी है, द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जिससे असंतुष्ट होकर वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उपस्थित पक्षकारान की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विरूद्व है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 से 3 द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के संलग्न दस्तावेजों का आधार मानते हुए अपील स्वीकार की है जबकि ये दस्तावेज परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे व न ही ये दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये थे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पोन्डेन्ट धूडसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 केसर का स्वर्गवास हो चुका था जिनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया है जबकि ऐसी स्थिति में अपील अबेट हो चुकी थी। इन्होंने अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखने हेतु अनुरोध किया। इन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2009 पेज 483, डब्ल्यू.एल.सी. 2015 (3) पेज 761 (सी) एवं आर.एल.डब्ल्यू 2012 (11) पेज 234 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से कथन किया गया कि विचारण न्यायालय ने उनके खिलाफ एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जिसकी अपील के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। जिस भूमि में से सड़क बनाई जा रही थी, वह भूमि विधिवत आवाप्त

की जा चुकी थी व संबंधित काश्तकारों को विधिअनुसार मुआवजा जारी किया जा चुका था। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आवाप्ति से संबंधित थे। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इन दस्तावेजों के आधार पर विधिसम्मत रूप से प्रकरण परीक्षण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। इन्होंने अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो सार्वजनिक निर्माण के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विभाग का ठेकेदार है, द्वारा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या 5 से 25 की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से सडक निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। विवादित भूमि गांव रतनादेसर की ख.नं. 206, 207, 209, 210, 233, 389, 299, 295, 300, 301 की है। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे उपरोक्त भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि में नई सड़क या रास्ता कायम करने का प्रयास ना करें। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.08.1999 द्वारा दावा डिक्री किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी है, द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

8. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो कि मुख्य प्रतिवादीगण है के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। प्रकरण में विवादित भूमि में सड़क बनाने से रोकने बाबत् अनुतोष था। विचारण न्यायालय में वादी की ओर से तहसीलदार रतनगढ को प्रतिवादी संख्या 4ए के रूप में पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया है तथा जिला कलक्टर के पत्र आदेश क्रमांक प.16(5)(ख)(43)विधि/1931 दिनांक 30.03.1993 द्वारा नायब तहसीलदार, रतनगढ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है जिनकी तरफ से विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या ए–7 पर जवाब अवलोकनीय है जिसके पैरा संख्या 4 पर यह कथन किया गया है कि ए.ई.एन. पीडब्ल्यूडी रतनगढ के अनुसार सड़क निर्माण हेतु भूमि आपाप्ति की पूरी कानूनी प्रक्रिया

अपनाकर ही अवार्ड जारी किये है। कुछ व्यक्तियों ने मुआवजा राशि ले भी ली है। विचारण न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य आ गया था कि विवादित भूमि के आवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी है तो इस संबंध में तनकी के निर्णय के समय विचार किया जाना चाहिए था। प्रकरण सार्वजनिक हित का होने के कारण विचारण न्यायालय को इस संबंध में संबंधित अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट कराई जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री के विरूद्व जब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है तो उन्होंने आवाप्ति से संबंधित निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है :–

(i). नकल फोटो कॉपी आदेश प्रपत्र भूमि आवाप्ति अधिनियम
(ii). अधिसूचना प्रेषित हेतु पत्र
(iii). राजपत्र में प्रकाशन हेतु पत्र
(iv). धारा 4 के तहत आदेश प्रपत्र मय नक्शा रतनादेसर
(v). नोटिस
(vi). फोटो बैंक चैक स्टेट ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रतनगढ़ चैक नं0 928127 से 29 व 928131 से 35 व 928136 तक कुल 9
(vii). फोटो प्रति न्यायालय भूमि आवाप्ति अधिकारी, सा.नि.वि. वृत्त द्वितीय, बीकानेर – आदेश अवार्ड कुल संख्या – 12

उपरोक्त दस्तावेज अपील स्तर पर इसलिए प्रस्तुत हुए है क्योंकि विचारण न्यायालय में इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। आदेश 41 नियम 27 का प्रावधान तभी लागू होता है जब विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा साक्ष्य दी जा चुकी हो व अपीलीय स्तर पर किसी पक्ष द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना हो। अपील मीमो के संलग्न उपरोक्त दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवाप्त होने का नया तथ्य सामने लाया गया है जबकि विचारण न्यायालय ने पैरोकार राज के कथन पर कोई विचार नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है ताकि इस बात का परीक्षण हो सके कि जिस भूमि पर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा चाहते है वह भूमि आवाप्तशुदा है या नहीं। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. जहॉ तक प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थीगण में से 2 रेस्पोन्डेन्ट के मृत होने का बिन्दु है, इस आधार पर सम्पूर्ण अपील अबैट नहीं मानी जा सकती तथा जब सम्पूर्ण रेस्पोन्डेन्ट के संबंध में समान बिन्दु निहित है तो रिमाण्ड प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण किया जा सकता है। जहॉ अपील गुणावगुण के बिन्दु पर महत्वपूर्ण हो (इस प्रकरण में सार्वजनिक हित में आवाप्त की गई भूमि का विवादित बिन्दु है।) वहॉ गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

10. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2009 पेज 483 में मात्र एक ही प्रतिवादी था जिसकी मृत्यु के कारण उसके विरूद्व डिक्री पारित किया जाना अवैध ठहराया गया है जबकि इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 30 रेस्पोन्डेन्टस थे जिसमें से अपीलार्थी के अनुसार 2 रेस्पोन्डेन्ट मृत बताये गये है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अपील अबेट नहीं मानी जा सकती तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से विचाराधीन अपील में अपीलार्थीगण को कोई सहायता नहीं मिलती। न्यायिक दृष्टांत डब्ल्यू. एल.सी. 2015 (3) पेज 761 (सी) में यह अवधारित किया है कि जब अपील में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर ली हो तो उसे प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उसका अंतिम निस्तारण किया जाना चाहिए। विचाराधीन अपील में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण 1 से 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई है तथा इनके द्वारा अपील के समय जो दस्तावेजे प्रस्तुत किये गये है उनसे अंतिम रूप से यह निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि आवाप्तशुदा है या नहीं क्योंकि आवाप्ति से संबंधित दस्तावेजों का खण्डन करने एवं उनके विरूद्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु वादीगण को भी अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2012 (11) पेज 234 से भी अपीलार्थीगण को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि इस न्यायिक दृष्टांत में यह ठहराया गया है कि प्रथम अपील में प्रत्येक तनकी का निर्णय किया जाना चाहिए जबकि विचाराधीन प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किये जाने के कारण उभयपक्ष

की साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी जिससे तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया जा सकता।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष